न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 69/2011 पुनः दर्ज 371/2013

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 16/06/2011 पुनःदर्ज दिनांक 18/10/2013

निर्णय दिनांक : 01/03/2021

ओमा पुत्री कमला जाति राजनट, निवासी ग्राम हिंगोनिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रार्थीया

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

निर्णय दिनांक 01/03/2021.

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खतोनी संख्या 4 के आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्बर 271/239 रकबा 3.09 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.10 हैक्टेयर वाके ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी 1/2 हिस्से की प्रार्थीनी खातेदार काश्तकार है व लगान जमा कराती आ रही है। प्रार्थीनी अपनी उक्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है और शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है जिससे किसी दीगर व्यक्ति काकोई सम्बन्ध व सरोकार नही हैं। प्रार्थीनी अपनी उक्त आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी के कर्मचारी प्रार्थीनी से द्वेषता रखते है, जिसके चलते येनकेन प्रकारेण प्रार्थीनी को हैरान परेशान करने व अनुचित नुकसान पहूँचाने पर आमादा रहते हैं। प्रार्थीनी जब दिनांक 10/06/2011 को अपनी उक्त आराजीयात को संभालने गयी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

तो अप्रार्थी के कर्मचारी अन्य दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आये तथा प्रार्थीनी की उक्त आराजीयात को मजदूरों को दिखाकर हिदायत देने लगे कि उकत आराजीयात पर सडक वनानी है ऐसे करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नही हैं। पूर्व में भी उन्होनें ऐसा अनुचित प्रयास किया परन्तु श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत करने परकार्य को बन्द कर दिया परन्तु दिनांक 10/06/2011 से प्रार्थीनी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पुनः प्रार्थीनी के खेत से मिट्टी उठाना शुरू कर दिया इस अप्रार्थीगण कोई विधिक अधिकार नही हैं।

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द फरमाया जावें कि वो प्रार्थीनी की खातेदारी की आराजीयात में प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में बेजा, मजाहमत न करें, न करावें न ही प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात में बिना राजस्व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति का पताकिये नरेगा सड़क निर्माण करें एवं सडक का निर्माण राजस्व रिकार्ड में दर्शित रास्ते पर ही किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व पैरोकार की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u>– प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमावन्दी पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 4 की अन्य खातेदारान के साथ–साथ प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीया ने अंकित किया है कि अप्रार्थी के कारकुनान प्रार्थीनी की आराजीयात में जबरन सडक बनाना चाहते हैं। इस हेतु मिट्टी उठा रहे है, इसलिये उनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।" इस सम्बन्ध में पत्रावली अवलोकन से यह पाया जाता है कि पत्रावली पर ऐसे कोई मौखिक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह साबित हो तो अप्रार्थी के कारकुनान द्वारा मौके पर प्रार्थीनी की खातेदारी की आराजीयात में से रोड निकालने का प्रयास किया जा रहा हो, चूंकि अप्रार्थी जो कि लैण्ड होल्डर है एवं राज्य सरकार का कर्मचारी है, जिसको कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता हैं। वैसे भी विवादित आराजीयात बाबत मूल वाद विचाराधीन है, जिसके निर्णय होने पर स्वतः ही प्रार्थीनी द्वारा चाहे गये अनुतोष का विनिश्चय हो जायेगा तथा वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में अप्रार्थी/ राज्य सरकार को कानूनन पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि अप्रार्थी जो कि राज्य सरकार का कर्मचारी है, जिसको यदि कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, तो राज्य सरकार को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थी के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 238, 271/239 कुल किता 02 कुल रकबा 3.10 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)